

24/4/19


बकुलाय फरीकेन उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन  
अधिकारी महो० चुनाव कार्य में व्यस्त है  
अतः पत्र 10 दि० 25/4/19.....को पेश हो।

९

25/04/19

अधिकारता प्रार्थी उपस्थित हैं। प्रार्थना-पत्र से  
संबंधित वाद का निर्णय हो चुका है। ऐसे में  
इस प्रार्थना-पत्र पर किसी कार्यवाही की  
आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रा. पत्र प्रार्थी अहंगति द्वारा  
212 RT Act खारिज किया जाता है। पत्रवली  
निर्णय में शुमार होकर ठगार से हट हो तथा  
वाद तामील तकमील दालिल दफ्तार हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला झालीवाड़  
(राजस्थान)